सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 478 राँची, शुक्रवार, 16 आषाढ़, 1938 (श०)

7 जुलाई, 2017 (ई०)

परिवहन (नागर विमानन) विभाग

अधिसूचना

5 जुलाई, 2017

संख्या-ना०वि०.VII-08/2017/710-- राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 के अंतर्गत Regional Connectivity Scheme (UDAN) के तहत राज्य में अवस्थित विभिन्न unserved/underserved हवाई अड्डों से नियमित उड़ान सेवा आरंभ करने का निर्णय लिया गया है । इसी क्रम में दिनांक 31 अगस्त, 2016 को झारखण्ड सरकार; नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य एक MOU हस्ताक्षरित किया गया है ।

2. MOU की कंडिका 4.2.2(e) में निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित हैः-

"State Government shall provide a certain share as applicable (20% for States other than for North Eastern States and island groups where the ratio will be 10%) of VGF determined pursuant to this Scheme. The State Government shall need to reimburse its VGF share within 3 months of being asked by the Central Government. In case the State Government does not reimburse, a notice will be sent by the Central Government requiring reimbursement within 1 month of the notice, failing which, the Central Government/Implementing agency will not consider any further RCS proposals under the Scheme for connecting airports from the State."

3. उक्त कंडिका 4.2.2(e) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा RCS route हेतु निर्धारित VGF के 20% का व्ययभार वहन करने का निर्णय लिया गया है। उक्त राशि की प्रतिपूर्ति Regional Connectivity Scheme में निहित प्रावधानों के अनुसार की जायगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 478--50